



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 2, 2009/पौष 12, 1930

No. 3]

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 2, 2009/PAUSA 12, 1930

कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 जनवरी, 2009

सा.का.नि. 4(अ).—केन्द्रीय सरकार, चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 (1949 का 38) की धारा 28क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए क्वालिटी पुनर्विलोकन बोर्ड का गठन करने वाली कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 448(अ) तारीख 28 जून, 2007 में निम्नलिखित संशोधन करती है।

2. उक्त अधिसूचना में क्रम संख्यांक 2 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“ श्री के.पी. ससीधरन, —सदस्य
प्रधान निदेशक (वाणिज्यिक)-I
भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कार्यालय,
10, बहादुर शाह जफर मार्ग,
नई दिल्ली-110002।”

3. यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 1/22/2006-आईजीसी-पीआई]

जितेश खोसला, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd January, 2009

G.S.R. 4(E).—In exercise of the powers conferred by Section 28A of the Chartered Accountants Act, 1949 (38 of 1949), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Ministry of Corporate Affairs, number G.S.R. 448(E) dated 28th June, 2007 constituting the Quality Review Board.

2. In the said notification, for serial number 2 and entries thereto, the following shall be substituted, namely :—

“Shri K.P. Sasidharan, —Member
Principal Director (Commercial)-I
Office of the Comptroller & Auditor
General of India,
10, Bahadur Shah Zafar Marg,
New Delhi-110002.”

3. This notification shall take effect from the date of publication in the Official Gazette.

[F. No. 1/22/2006-IGC-PI]

JITESH KHOSLA, Jt. Secy.